



कार्यालय, अन्न कल्याण विभाग
छत्तीसगढ़ शासन
आवक 1737
दिनांक 11 DEC 2012

कार्यालय कलेक्टर, जिला सुकमा (छ.ग.)

फोन - 07864284001, फैक्स - 07864284002, E-mail - dmsukma.cg@gmail.com

आदेश

कमांक/ 95/स्टेनो/2012

सुकमा दिनांक 08/11/2012

छत्तीसगढ़ शासन श्रम कल्याण विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप सुकमा जिले में कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के हितों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए श्रमिकों की गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण रखने हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सर्तकता समिति का गठन किया जाता है, चूंकि सुकमा जिले के अंतर्गत एक ही अनुविभाग (राजस्व) कोंटा है जिसका मुख्यालय सुकमा है। अतः जिला स्तरीय समिति ही अनुविभाग स्तरीय समिति के रूप में कार्य करेगी।

क्रं.	अधिकारी का नाम	समिति में पद
1	कलेक्टर सुकमा	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुकमा	सदस्य
4	जिला परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास सुकमा	सदस्य
5	जिला खाद्य अधिकारी सुकमा	सदस्य
6	मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी सुकमा	सदस्य
7	उप संचालक कृषि सुकमा	सदस्य
8	श्री नरेन्द्र (गैर सरकारी संगठन प्रगति प्रयास)	सदस्य
9	श्री आदित्य पाण्डे (अधिवक्ता सुकमा)	सदस्य
10	श्रम अधिकारी सुकमा	सदस्य सचिव

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर

जिला-सुकमा (छ.ग.)

पृ.कमांक/ 95-A/स्टेनो/2012

सुकमा दिनांक 08/11/2012

प्रतिलिपि :-

- अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं श्रम आयुक्त, श्रम विभाग छ.ग. शासन रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा को सूचनार्थ।